फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

पेगासूस रिकन्स्ट्रक्शन प्रा॰ लि॰ बनाम मैसर्स एम के एन्टरप्राईजेज व अन्य

प्रकरण संख्या : 288/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
12.12.2022	पत्रावली पेश हुई। प्राथी बैंक की ओर से अण्धिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके समर्थन में प्रस्तुत बन्धक सम्पत्ति शाप नम्बर 1136 की टाईटल डीड में अप्रार्थी राघव मेहता की वल्दीयत में भिन्नता है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	